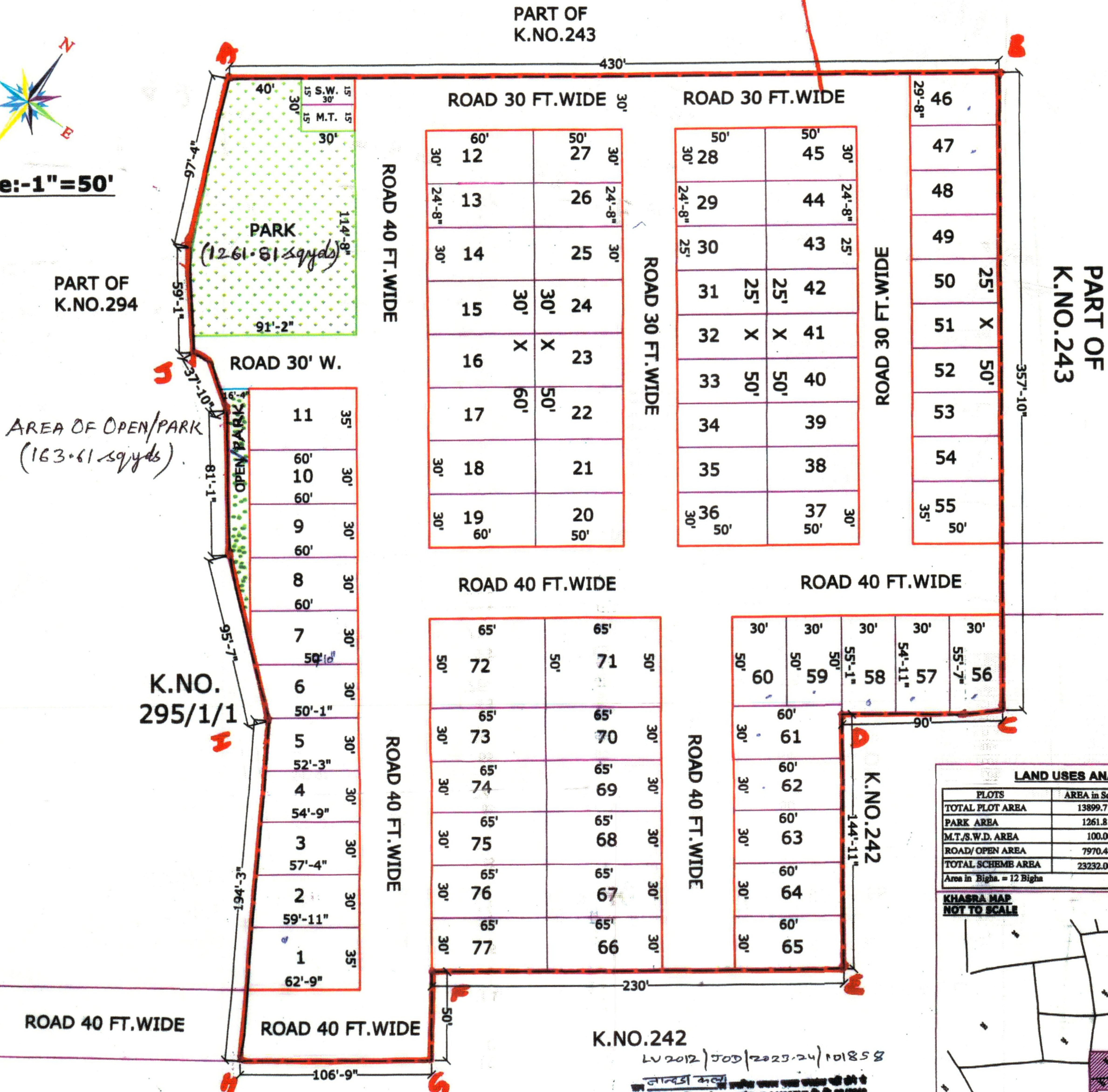
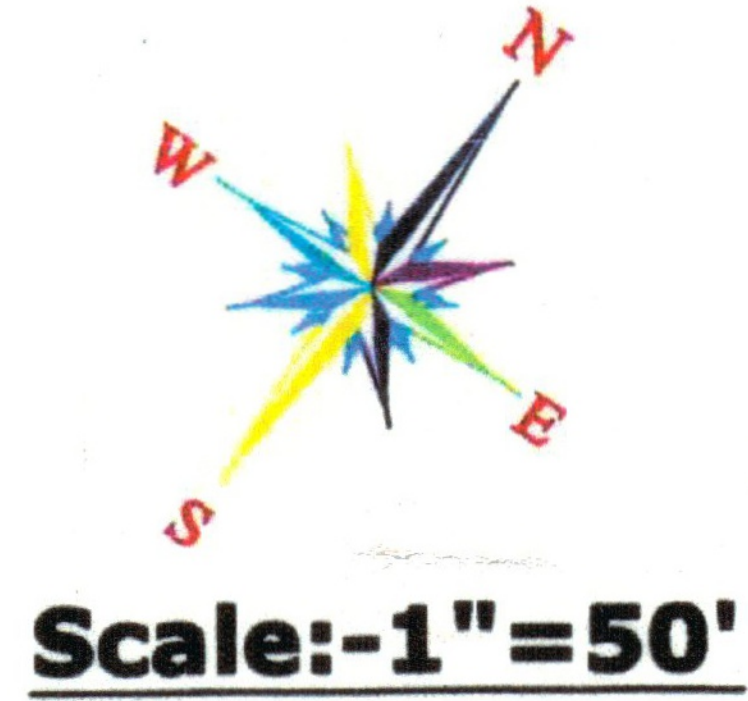
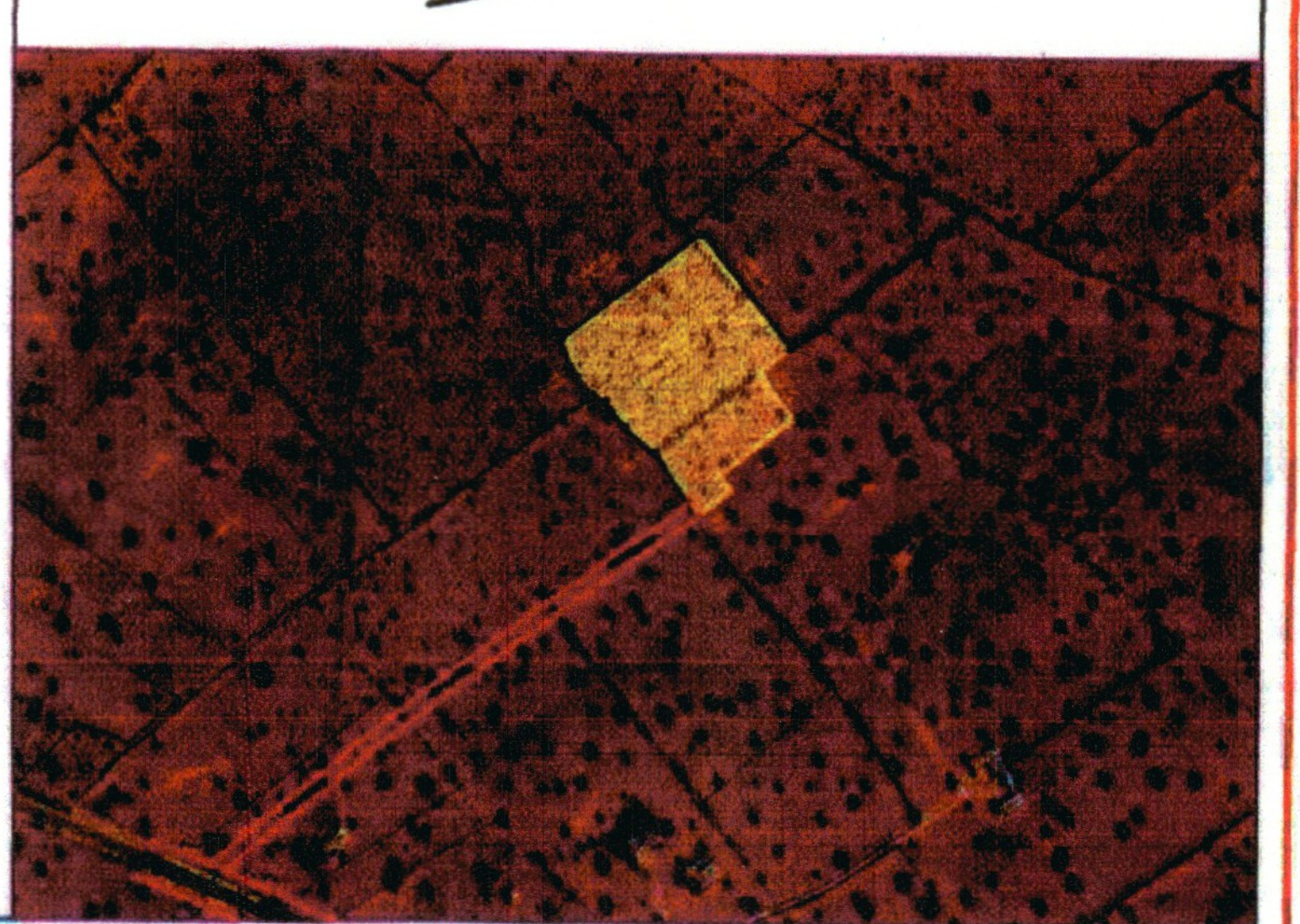
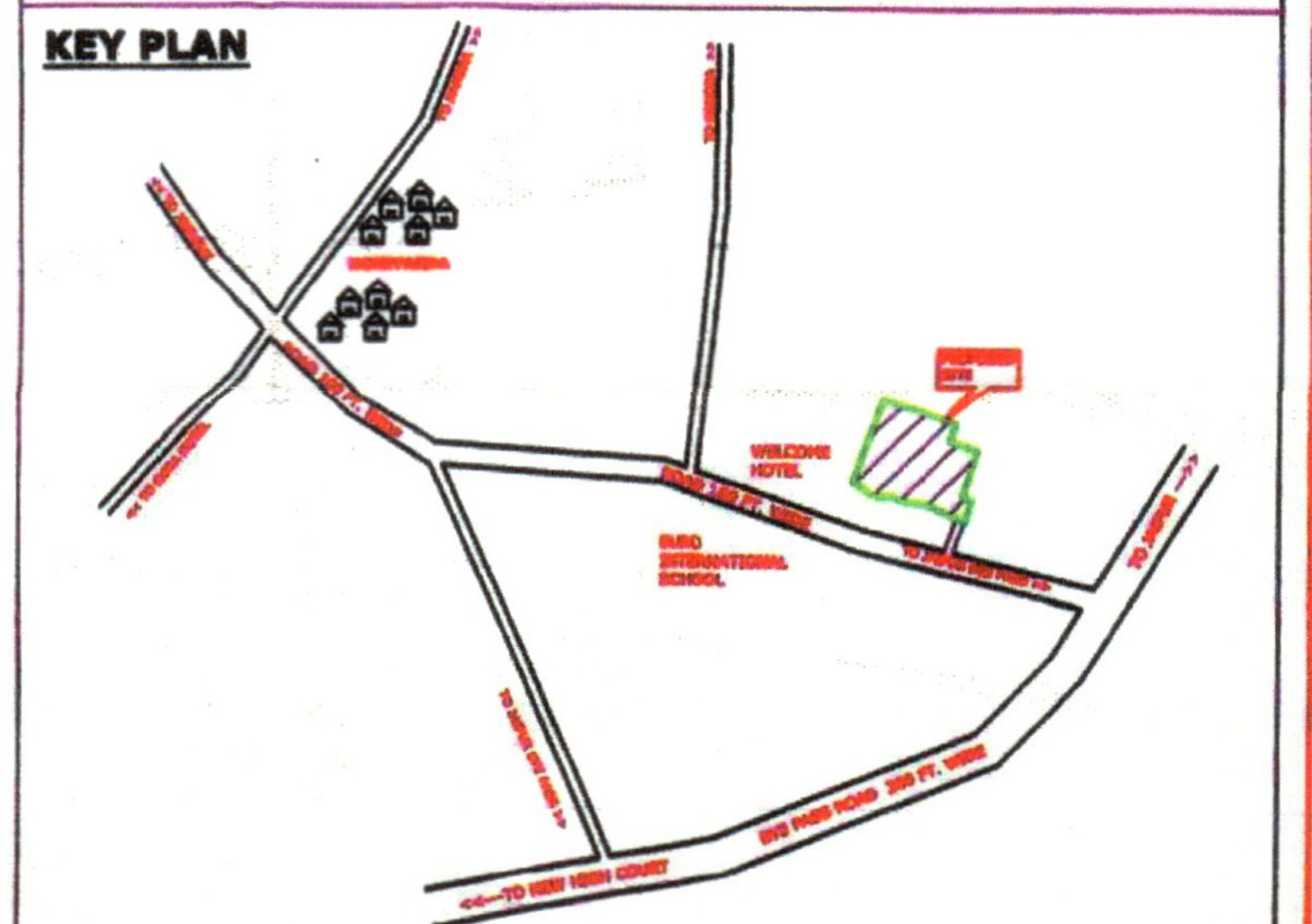
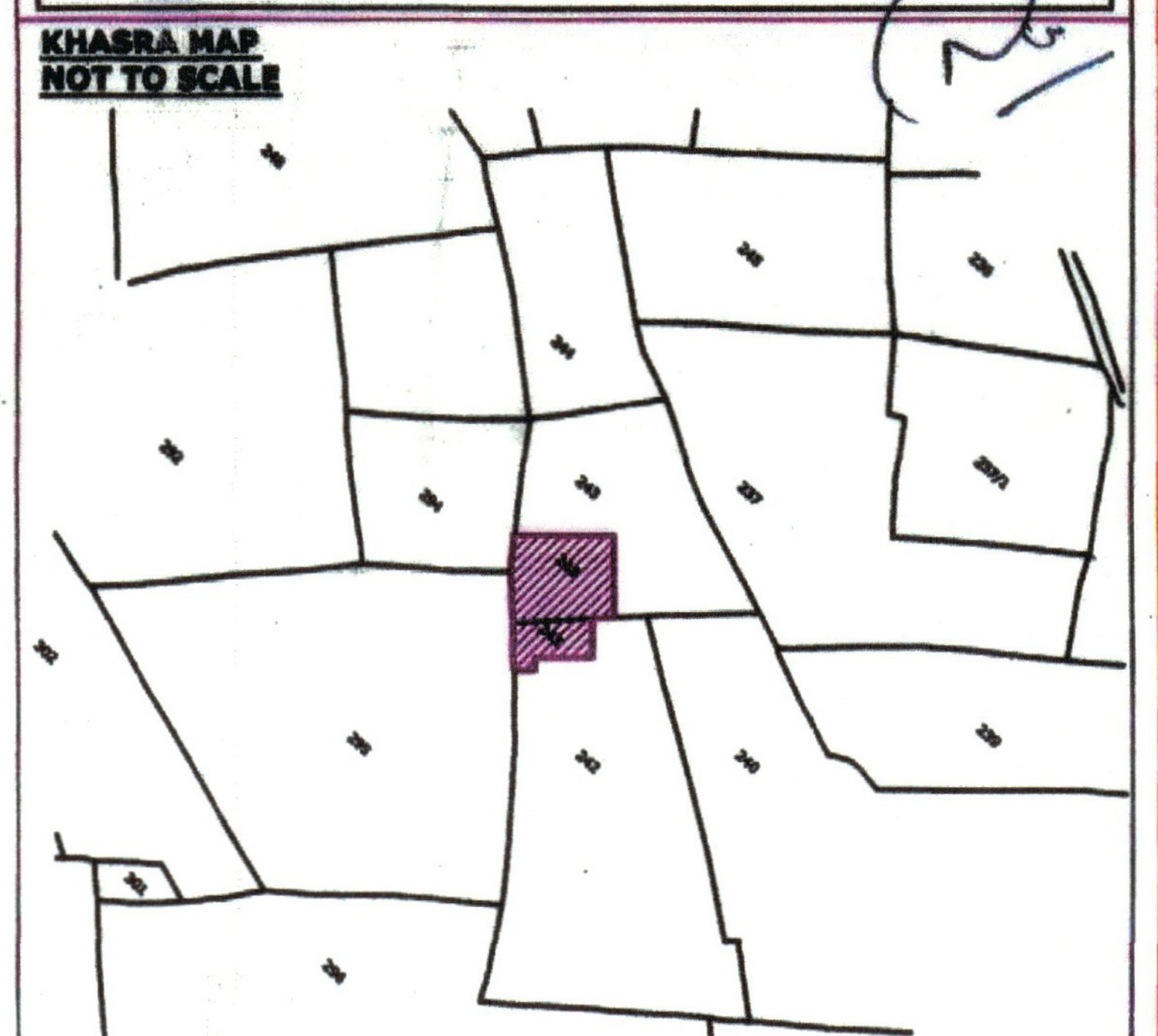


RESIDENTIAL SCHEME OF KHASRA NO. 242/1, 243/5 OF VILLAGE NANDRA KALLA AT JODHPUR



LAND USES ANALYSIS			
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	13899.71	11621.91	59.83 %
PARK AREA	1261.81	1055.04	05.43 %
M.T./S.W.D. AREA	100.00	83.61	00.43 %
ROAD/OPEN AREA	7970.48	6664.32	34.31 %
TOTAL SCHEME AREA	23232.00	19424.88	100.00 %



K.NO.242					
JDA/Dir(P)/A.T.P/Z-01/260/15-12-2023					
बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.09.2023	जोन-1	नान्दा कला	242/1, 243/5	1200.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री कमलेश भट्ट पुत्र श्री माणकलाल भट्ट, श्रीमती सुशीला जयपाल पत्नी श्री नरेन्द्र				
विषय-	राजस्व ग्राम नान्दा कला के खसरा संख्या 242/1, 243/5 रकबा 1200.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया- 1. आवेदित भूमि को समर्पित भूमि से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, उक्त रास्ते की मौके पर सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर मूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

K.NO.242
LV 2012/500/2023-24/101858
जानकारी के लिए
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJANAGAR MITRA 2021 (861) 670